

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संख्या-05

षष्ठम (मॉनसून) सत्र

गुरुवार, दिनांक-09 सितम्बर, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 5.55 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चाएँ:-

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकारित: माननीय सदस्य काता जंगेज धारण कर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा माननीय सदस्य, सर्वज्ञी बिन्नी शरण, भानू प्रताप राहो, अमर कुमार बाउरी, कंदार हजरा एवं डॉ० कुरानाहा राशिभूषण मेहता ने आसन का ध्यान दिनांक-08.09.2021 को राजधानी राँची में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किये गये लाठीचार्ज विषयक प्रकाशित समाचार को और आकृष्ट करने लगे तथा उनके द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ने की माँग करने लगे। आसन द्वारा उन्हें सुधित किया गया कि यह झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के आलोक में ही पढ़ा जायेगा, परन्तु वे अपनी माँगों पर अड़े रहे एवं माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा विधायकी पढ़ी जाने लगी तत्पश्चात् वे राँची-राँची: सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे आसन द्वारा गहरी नाराजगी अभिव्यक्त की गयी।
- ii- प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा किये जा रहे व्यवहार के प्रतिरोध में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री सुधिव्य कुमार भी सदन की वेल में जा गये, परन्तु आसन द्वारा कहे जाने पर वे पुनः अपने स्थान पर चले गये।

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-26

(क) उत्तरित मात्र-01, अ० सू०-78, डॉ० लम्बोदर महतो, संवि०स०।

(ख) अनागत कुल-25, अ० सू०-79 से अ०सू०-103 तक।

इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पूर्ववत् सदन की वेल में नारेबाजी करते रहे जिसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम ने आपत्ति जताते हुए आसन से अनुरोध किया कि इनके द्वारा आसन के प्रति अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, अतएव इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आसन द्वारा पुनः नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि सदन में विभिन्न दलों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन एक दल विशेष द्वारा इस प्रकार सदन को बाधित किया जाना अनुचित है। अतः अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.21 बजे पूर्वा० से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी जिसके कारण शेष प्रश्न नहीं लिये जा सके।

(स्थगनापरांत)

कृ० प्र० उ०

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3. सूचनाओं का दिया जाना:-

- i- माननीय सदस्य, श्री कमलेश कुमार सिंह ने आसन का ध्यानकष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 कि.मी. ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति दी जाती है जिसकी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई जबकि पंचायत चुनव होनेवाला है जिसपर माननीय ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने अद्यतन स्थिति से आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया,
- ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने बढ़ती हुई महँगाई के इस दौर में विधायक कोटा की राशि 08 करोड़ रुपये किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया जिसका समर्थन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने भी किया,
- iii- माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद ने आसन का ध्यानकष्ट करते हुए अनुरोध किया कि पिछले कई दिनों से झरखण्ड विधान सभा में नमाज पढ़ने हेतु कमरे का आर्बटन सभा सचिवालय के कर्मियों द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में हुआ है जिसपर प्रतिपक्ष को ऐतराज है। अतएव इसपर एक समिति बना दी जाय जो एक समय-सीमा के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तदनुसार आसन द्वारा निर्णय ले लिया जाय। उन्होंने आसन के माध्यम से यह भी संसूचित किया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री बाबूलाल मराण्डी तथा पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री इन्दरसिंह नामधारी के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था पुराने विधान सभा में थी जिसका माननीय, श्री बाबूलाल मराण्डी द्वारा खण्डन किया गया,
- iv- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिकौं द्वारा माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद का समर्थन किया गया।

4. शून्यकाल की सूचनाएँ:-

आज के लिए विभागत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए उन्हें सम्बन्धित विभागों में लिखित उत्तर के लिए भेजे जाने का निर्देश आसन द्वारा दिया गया।

5. आसन से निवमन:-

सभा सचिवालय में "नमाज पढ़ने हेतु कमरा" के आर्बटन पर उठे विवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद के अनुरोध एवं सदन की भावना को देखते हुए आज की द्वितीय पाली में एक समिति गठित किये जाने हेतु आसन से निवमन दिया गया।

6. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री दीपक बिरुवा द्वारा प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (2020-21) सभा निवम-216(1) के तहत सदन पटल पर रखा गया।

इस क्रम में कतिपय माननीय सदस्यों ने पुनः विधायक मद की राशि बढ़ावे जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा संज्ञान में लिया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

३३ ५५३०

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने द्वारा दिये गये कार्यसूचन प्रस्ताव की सूचना को पढ़े जाने हेतु आसन से अनुरोध करने लगे और सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगे,
- ii- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने सारंडा-नोआमुंडी में लोगों को राशन लेने हेतु 25-30 कि.मी. पहाड़ से नीचे उतरकर जाना पड़ता है, अतएव आसन के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया कि इनके लिए **Door steps** राशन की व्यवस्था करायी जाय,
- iii- माननीय सदस्य, श्री लोखिन टेम्ब्रम ने अलग झारखण्ड राज्य के लिए बिन्होंने संघर्ष किया है, उन्हें सम्मानित किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया,
- iv- माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि माननीय पूर्व सदस्य, श्री कुरावाहा शिवपूजन मेहता अपनी मीनी को लेकर बाहर में धरने पर बैठे हैं, अतएव उन्हें धरना से उठाने की व्यवस्था की जाय, इसपर माननीय सदस्य, श्री बिरंछी नारायण एवं श्री लोखिन टेम्ब्रम को श्री मेहता को धरना स्थल से उठाने हेतु निर्देश दिया गया तत्पश्चात् माननीय सदस्यद्वय सदन से बाहर गये,
- v- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अनुरोधपूर्वक कहा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कात्ता पट्टा कच्चे धारण किया गया है, आसन द्वारा जानकारी ली जानी चाहिए।

7. विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरंत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-65, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक-2021" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव असवीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री अबलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरंत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-06, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

ग. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उर्वीव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनेपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परचात् "झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य सदन की बैठक में घटने पर बैठ गये।)

घ. झारखण्ड वित्त विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री हकिजुल हसन अंसारी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनेपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्परचात् "झारखण्ड वित्त विधेयक-2021" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

8. आसन से घोषण:-

झारखण्ड विधान सभा में "नमाज के लिए आवंटित कमरा" के कारण उत्पन्न गतिरोध के शमन हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाये जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी जिसमें-

श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० संयोजक,

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० सदस्य,

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, स०वि०स० सदस्य,

डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० सदस्य,

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० सदस्य,

डॉ लम्बोदर महतो, स०वि०स० सदस्य एवं

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० सदस्य होंगे। समिति 45 दिनों के

अन्दर जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन देगी जिसपर आसन सहमत हो सकेगा।

9. गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री जयर कुमार बाजरी एवं श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह सहित कई माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के घटम् (मॉनसून) सत्र में निर्मांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयीं जो सरकारी उत्तर के पश्चात् वापस ली गयीं:-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संस्थापित विषय	स्थिति
---------	---------------------	----------------	--------

01	श्री अभित कुमार यादव माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल(अधिकृत) द्वारा पूजा गया।	हजारीबाग जिला के बरही में अनुमण्डल न्यायिक न्यायालय का गठन,	वापस
02	श्री मधुरा प्रसाद महतो	हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड करना,	वापस
03	श्री सुदिव्य कुमार	जाति प्रमाण-पत्र बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर सेल का गठन करना,	वापस
04	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज जिला में लॉ-कॉलेज की स्थापना,	वापस
05	श्री प्रदीप यादव	जाति आधारित जनगणना करना,	वापस
06	श्री नारायण दास	देवघर, एम्स में अनुसूचित जनजाति वार्ड की स्थापना,	वापस
07	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सरकार के आशवासन के अनुरूप कोयल नदी पर पुल का निर्माण करना,	वापस
08	प्रो० स्टीफन मराण्डी	पूर्व से स्वीकृत पावर ग्रिड स्टेशन का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण करना,	वापस
09	सुश्री अम्बा प्रसाद	रामगढ़ जिला अन्तर्गत पतरातु प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाना,	वापस
10	श्री रामचन्द्र सिंह	सातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड में टिप्टी महानिचालय खोलने की स्वीकृति देना,	वापस
11	श्री मनीष जायसवाल	राखिल-खारिब एवं लगान रसीद निर्गत करने में व्याप्त वर्तमान झुटि का समाधान करना,	वापस
12	डा० लम्बोदर महतो	बोकारो जिला में तीन प्रखण्डों का सृजन करना,	वापस
13	श्री समीर कुमार मोहनती	बाईपास सड़क का निर्माण करना,	वापस
14	श्री भानू प्रताप शशी	गदवा जिलान्तर्गत बंशीधर नगर अनुमण्डल स्तरीय सिविल कोर्ट को चालू करना,	वापस
15	श्री भूषण झाड़ा	रेलवे लाईन का विस्तारीकरण,	वापस
16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	भूमि के एवज में भू-स्वामी को राशि का भुगतान करना,	अनुपस्थित
17	श्री उमाशंकर अकेला	बराकर नदी में चितहरवा घाट पर पुल का निर्माण करना,	वापस
18	श्री राज सिन्हा	धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिला को जोड़कर कोयलांचल प्रमण्डल बनाना,	वापस
19	डा० इरफान अंसारी	जामताड़ा जिला में आदिवासी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय खोलना,	वापस
20	डा० कुरावाहा शशिभूषण मोहता	चतरा को डालटनगंज भावा पार्की होते हुए रेल गया तक रेल लाईन से जोड़ना,	वापस
21	श्री किशुन कुमार दास	चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी स्थित माँ भद्रकाली मन्दिर परिसर को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करना,	वापस
22	श्री हनु महतो	हाई पावर कमेटी का गठन कर विस्थापन के सभी मामलों का एक समय-सीमा के अन्दर समाधान करना,	वापस

23	श्री कंदार हजरा	गिरिदोह जिला अन्तर्गत जमुआ तथा देवरी प्रखण्ड को काटकर हिरौदोह तथा नवदोहा को प्रखण्ड बनाना,	वापस
24	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	धनबाद के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पोद्दारडोह स्थित तालाब का गहरीकरण, बीर्णाद्वार, घाट का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण करना,	वापस
25	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कुड़मी/कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना,	वापस
26	श्री नलिन सोरेन	गार्डवाल का निर्माण करना,	वापस
27	श्री बंधु तिकी	पंक डैम सहित गार्डवाल के अविलम्ब निर्माण करना,	वापस
28	श्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	संभाल परगना के मान्यता समाप्त किये गये सभी स्कूलों की मान्यता प्रदान करना,	वापस
29	श्री बिरंजी नारायण	बरोबी और डकिटरी-अस्पताल प्रबंधन के हित में एक समुचित मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना	वापस
30	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	धनबाद जिला के सरिया में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करना,	वापस
31	श्री विनोद कुमार सिंह	गिरिदोह जिला के बिरनी प्रखण्ड में भरकट्टा एवं सरिया प्रखण्ड में चिचाकी को नये प्रखण्ड का दर्जा दिया जाना,	वापस
32	श्री कमलेश कुमार सिंह	पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड में दिग्री कॉलेज की स्थापना करना।	वापस

i- इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री मधुरा प्रसाद महतो ने आसन की अनुमति से माननीय सदस्यों को देव अनुमान्य सुविधा के तहत उपस्कर की सुविधा मुख्य सचेतक, सत्रा पक्ष, विपक्ष, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतकगण के लिये भी उपस्कर की सुविधा अनुमान्य कराने के लिये एक समिति बनाये जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा संज्ञान में लेते हुए इसके लिये समिति बनाये जाने हेतु आश्वासन दिया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाऊरी का वायरल हो रहे आक्षेपयुक्त Video के सम्बन्ध में आसन का ध्यानकृत करते हुए उनकी सहनशीलता को सराहनीय है, इसके लिए उन्हें बधाई एवं साधुवाद।

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन में बर्हिमन किया)

इसके पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदन नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन ने विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रतिपक्ष की इस सत्र के दौरान निभायी गयी भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चाये की।

10. समापन भाषण:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र के दौरान हुई कुल-05 बैठकों, राज्यपाल महोदय द्वारा प्रास्तावित अध्यादेश की प्रति एवं गत सत्र में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा फटल पर रखे जाने के अतिरिक्त सत्र के दौरान पूछे गये प्रश्नों, ध्यानकर्षणों, निवेदनों, शून्यकाल के

५६५३६

प्रश्न	अतिरिक्त पारित कुल-08 विधेयको तथा उपस्थापित विभिन्न प्रतिवेदनो के सम्बन्ध मे भी विस्तार से सदन को जानकारी दी। इसके उपरोक्त उन्होने अपना उद्गार व्यक्त किया-
उत्तर	“मै सभा के कार्य संचालन मे सभा सचिवालय के पदाधिकारियो एवं कर्मचारियो, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारियो/कर्मचारियो, प्रेस प्रतिनिधियो, समाचार एजेन्सो, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित आरक्षी बल के जवानो को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होने लगन, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यो का निर्वहन किया है।
प्रश्न	माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र मे विधायिका का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल अंतिम सम्प्रभू झारखण्ड के साढ़े तीन करोड़ लोगो के प्रति पूरी सरकारी मशीनरी को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे वर्ष मे सोझित समय के लिए हम यहाँ बैठते है और आपके प्रश्नों एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्तव्यो के प्रति संवेदनशील बनाने मे अपनी भूमिका निभाते है, परन्तु सदन मे अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्तव्य का पालन होगा हुआ मुझे नहीं दिखता। माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन मे अपनी-अपनी भूमिका निभाते है। लोकतंत्र मे शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। चाद-विवाद, विरोध-प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परन्तु व्यवधान को उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते है।
उत्तर	मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्रो मे आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभायेगे और पक्ष एवं विपक्ष दोनों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा।
प्रश्न	माननीय सदस्यगण, आप सभी को पुनः मै धन्यवाद देता हूँ तथा अनेवाले पर्व त्वोहारो गणेश चतुर्थी, करमा तथा शारदीय नवरात्र की अग्रिम बधाई देता हूँ।”
उत्तर	इसके उपरोक्त सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।

रीषी,
दिनांक- 09, सितम्बर, 2021ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

—:*****:—